न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एसडीओ) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी नरेश सोनी आर. ए.एस

मुकदमा नंबर 137/2020

सरकार बनाम 1. महादेव वल्द बस्तीराम कौम खारवाल सा0 पचपदरा।
2. सुरेशनारायण देवीलाल, सहदेव, जयप्रकाश, पुखराज पि0 रूपचंद ज्योती, मीकुदेवी, सुआदेवी पुत्रियां रूपचंद कौम खारवाल सा0 पचपदरा।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

आदेश दिनांकः–.31.05.2022

तहसीलदार पचपदरा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू– राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत किया जिसके सक्षिप्त तथ्य यह है कि ग्राम वेदरलाई के मूल खसरा संख्या 41 जो कि वर्तमान खसरा संख्या 209/41, व 209/41 कुल दो भागों में विभक्त है। उक्त खसरान के बट्टा नम्बर तरमीम नहीं है व मौके पर भी जमाबंदी के अनुसार तरमीम किया जाना संभव नहीं है । काश्तकार मौका अनुसार चार टूकडों में काश्त कर रहे है लेकिन जमाबंदी में दो ही भागों में विभक्त है । ऐसी स्थिति में तरमीम किया जाना संभव नहीं होने से डीआईएलआरएमपी की योजना के तहत तरमीम आवश्यक होने के कारण मूल खसरा न0 41 को मूल स्वरूप में दर्ज किये जाने हेतु परिशिष्ट 'अ' के अनुसार दर्ज करने का प्रार्थना पेश किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया । विप्रार्थीगण अनुपस्थित । उप तहसीलदार पाटोदी से मौके की स्थिति की मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु तहरीर जारी की गयी उप तहसीलदार पाटोदी के दिनांक 24.05.2022 से पालना रिपोर्ट प्राप्त हुई । उप तहसीलदार पाटोदी के द्वारा मौका रिपोर्ट में जाहिर किया गया कि मौजा वेदरलाई के डीआईएलआरएमपी के तहत खसरा संख्या 209/41, व 209/41 की तरमीम जरिये [illegible] मौका रिपोर्ट के अनुसार की गयी है जिस सम्बन्ध में [illegible] लट्ठा ट्रेस व मौका रिपोर्ट की छाया प्रति पेश की ।

सरकारी पैरोकार उप तहसीलदार पाटोदी को सुना गया। पत्रावली व पत्रावली संलग्न दस्तावेजात व रिपोर्ट का अवलोकन व अध्ययन

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.01 19:05:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (SDO) बालोतरा

किया गया। चूकि प्रकरण में डीआईएलआरएमपी के तहत राज्य सरकार के निर्देश अनुसार पूर्व में ही नक्शा लट्ठा ट्रेस अंकन हो जाने से इस प्रकरण को आगे चलाना उचित प्रतीत नहीं होता है । अतः प्रकरण की इसी स्टेज पर खारीज किया जाता है ।

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

उप खण्ड अधिकारी
(SDO) बालोतरा

आदेश आज दिनांक 31.05.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.01 19:05:08 IST
Reason: SelfAttested